हमारा बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

(सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय,कैमूर)

संख्या :– 210

दिनांक :– 02.12.2013

31 तक सीएमआर जमा नहीं करने वाले मिलरों पर होगी कार्रवाई

2013–14 के लिए कोई नहीं होगा इकरारनामा

कैमूर(भभुआ) 02 दिसम्बर 2013 :– सोमवार को मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये खाद्य एवं उपभोक्त, कृषि सहकारिता विभाग के अलावा धान अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने, गोदामों की उपलब्धता, किसानों को समय पर भुगतान आदि के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी को दिया। समीक्षा के करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि गोदामों की कमी नहीं होगी। गोदाम पर्याप्त उपलब्ध रहेंगे। धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी।धान अधिप्राप्ति को ले सरकार गंभीर है। शिथिलता बरतने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि वर्ष 2012–13 में जिन मिलरों द्वारा राज्य खाद्य निगम से धान प्राप्त किया गया था वे हरहाल में धान का सीएमआर 31 दिसंबर 2013 तक भारतीय खाद्य निगम में जमा कर दें। अन्यथा मिलरों के खिलाफ डीएम द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा मिलरों के साथ वष 2013–14 के लिए किसी प्रकार का काई इकरार नामा नही किया जयेगा। डीएम ने जिला प्रबंधक एसएफसी को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि किसानों से जिन क्रय केन्द्रो के प्रभारियों खराब धान की खरीद की गयी थी उनसे लागत की भरपाई की जाये। विडियो कांफ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त मदन प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला प्रबंधक एसएफसी, जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रभाकर सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।